मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

ई–निविदा आमन्त्रण सूचना

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न कार्यों हेतु प्राधिकरण में उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से सपठित नियम व शर्तों के अधीन ई–निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं:–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ई–निविदा डाउनलोड/अपलोड करने की प्रारम्भिक तिथि	ई–निविदा डाउनलोड/अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	ई–निविदा खोलने की तिथि व समय	कार्य अवधि	कार्य की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अवस्थापना निधि के अन्तर्गत वेदव्यासपुरी योजना में स्थित जोनल पार्क को कान्तिधरा थीम पार्क के रूप में विकसित किये जाने का कार्य।	697.26	13.95	5700/–	07–11–23 4.00 PM	21–11–23 12.00 PM	21–11–23 02.00PM	9 माह	प्राधिकरण में पंजीकृत होने की बाध्यता नही है। (अनुभवी एजेन्सियां)
2	शताब्दीनगर योजना के सैक्टर– 02, 03 व 04 एवं एयरपोर्ट एन्कलेव में सीवर लाईन, नाली, रोड, साईड पटरी /रोड की सफाई व कूड़ा निस्तारण के वार्षिक अनुरक्षण का कार्य।	21.30	0.43	2350/-	07–11–23 4.00 PM	21–11–23 12.00 PM	21–11–23 02.00PM	12 माह	प्राधिकरण में पंजीकृत होने की बाध्यता नही है। (अनुभवी एजेन्सियां)
3	श्रद्धापुरी योजना फेस–1 में सीवर लाईन/मैनहॉल की डी–सिल्टिंग का कार्य।	22.75	0.46	2350/-	07–11–23 4.00 PM	21–11–23 12.00 PM	21–11–23 02.00PM	02 माह	प्राधिकरण में पंजीकृत होने की बाध्यता नही है। (अनुभवी एजेन्सियां)

शर्तें :–

1. निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि केवल RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा प्रपत्र में उल्लेखित बैंक खाते में जमा करायी जायेगी।
2. निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाईट को देखते रहें। निविदाओं के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन/परिवर्धन विषयक सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
3. निविदाओं को बिना कारण बतायें अस्वीकार करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में निहित है।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेंगी।
5. निविदा के साथ धरोहर राशि व निविदा मूल्य के **RTGS** का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को फर्म का बैंक एकाउन्ट नं0, आई0एफ0एस0सी0 कोड एवं बैंक का नाम व स्थान का ब्यौरा संलग्न कराना अनिवार्य होगा।
7. ठेकेदार द्वारा निविदत्त दरें बी0ओ0क्यू0 में वर्णित दरों से निम्न प्राप्त होने पर नियमानुसार परफोरमेन्स गारन्टी देय होगी।
8. कार्यो के विषय में विस्तृत शर्ते एंव अन्य विवरण सम्बन्धित खण्ड/अनुभाग के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में देखी जा सकती है।
9. उ.प्र. भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक पंजीयन, अधिष्ठान पंजीयन एवं लाभार्थी श्रमिकों द्वारा योजना का हितलाभ प्राप्त किये जाने हेतु आनलाईन आवेदन/पंजीयन की व्यवस्था की गई है। अतः कार्य आंवटित होने की दशा में कार्यादेश निर्गत होने और निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के मध्य सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा आवंटित कार्य के सापेक्ष भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम–1996 के अन्तर्गत श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाना होगा।
10. क्रमांक 01 पर अंकित निविदा टू–बिड पद्धति पर आंमत्रित की जाती है।
11. प्रदूषण नियत्रंण प्राधिकरण (ई.पी.सी.ए.) द्वारा निर्धारित कार्ययोजना, ग्रेडिड रिस्पॉस एक्शन प्लान (GRAP) के मानकों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
12. सीवर सफाई के कार्यो हेतु श्रमिकों को वांछित सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए ही कराये जाने होगें, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना न रहें। श्रमिकों की सुरक्षा का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।
13. क0सं0 01 के कार्य हेतु आर्किटेक्ट के सुपरविजन एवं आर्किटेक्ट द्वारा उपलब्ध करायी गयी ड्राईंग/डिजाईन के अनुसार किया जाना है एवं आर्किटेक्ट का परामर्श शुल्क 3.00% स्वीकृत निविदा का निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा। निविदादाता द्वारा आर्किटेक्ट से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि कार्य आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत थीम/डिजाईन के अनुरूप किया गया है, जिसके उपरान्त ही कार्य का अन्तिम बिल भुगतान किया जायेगा।

14— क0सं0 02 पर निविदा में समान प्रकृति के कार्य का अनुभव प्रमाण—पत्र होना अनिवार्य है।

15— क्रम सं. 03 के कार्य हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत होने की बाध्यता नही है एवं कार्य की प्रकृति के दृष्टिगत अनुभवी फर्मो से ई—निविदा आमंत्रित की जाती है एवं कार्य हेतु फर्म को सुपर सकर मशीन से किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में प्रश्नगत कार्य की प्रकृति के कार्य किये जाने का अनुभव प्रमाण—पत्र ई—निविदा के साथ संलग्न करना होगा। साथ ही निविदादाता के पास अपनी स्वंय की सुपर सकर मशीन होनी चाहिये तथा मशीन की क्षमता 5600 **cum** प्रति घंटा से कम नही होनी चाहिये।

मुख्य अभियन्ता,

पत्रांक: 565 मु0अभि0—कार्या0 / 2023—24 दिनांक : 04-11-2023

प्रतिलिपि:

1— सचिव महोदय को सूचनार्थ।

2— वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ।

3— सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/प्रभारी विद्युत को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह सम्बन्धित कार्यों के निविदा प्रपत्र/बी.ओ.क्यू. कम्प्यूटर अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4— श्री शरद श्रीवास्तव, सहायक प्रोग्रामर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निविदा आमन्त्रण सूचना तत्काल प्राधिकरण की वैबसाईट पर एवं निर्धारित अवधि में निविदा प्रपत्र एन0आई0सी0 ई—टैण्डर पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

5— अवर अभियन्ता—रखरखाव को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य अभियन्ता,